

  
**भारत का राजपत्र**  
**The Gazette of India**

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3 उप-खण्ड(ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 328] नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 13, 1979/श्रावण 22, 1901  
No. 328] NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 13, 1979/SRAVANA 22, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate  
compilation.

वाणिज्य, नागरिक आपूर्ति एवं सहकारिता मन्त्रालय

(वाणिज्य विभाग)

आवेश

नई दिल्ली, 13 अगस्त, 1979

निर्यात व्यापार नियन्त्रण

का.आ. 468(अ)/सं. ई(सी)ओ 1977/ए एम(130).—आयात-निर्यात  
(नियन्त्रण) अधिनियम, 1947 (1947 का 18) के खण्ड 3 द्वारा प्रवृत्त  
अधिकारों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा निर्यात (नियन्त्रण)

आदेश, 1977 में आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश की रचना करती है, अर्थात् :—

1. इस आदेश को निर्यात (नियंत्रण) 43वां संशोधन आदेश, 1979 की संज्ञा दी जाए ।
2. निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1977 के भाग ख की अनुसूची-1 में निम्नलिखित उप-प्रविष्टि को क्रम संख्या 77 के अन्तर्गत वर्तमान उप-प्रविष्टि (3) के बाद जोड़ा जाएगा :—

“(4) —ऐसे विनिर्माण और उत्पाद जिनमें 59 प्रतिशत या इससे कम रजत की मात्रा हो ।”

[मिसिल संख्या 21/1/79-ई]

सी. वेण्कटरमन, मुख्य नियन्त्रक (आयात-निर्यात)

MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES & CO-OPERATION

(Department of Commerce)

ORDER

New Delhi, the 13th August, 1979.

EXPORT TRADE CONTROL

S.O. 468(E)/No. E(C)O, 1977/AM(130).—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Imports and Exports (Control) Act, 1947, (18 of 1947), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Exports (Control) Order, 1977 namely :—

1. This Order may be called the Exports (Control) Forty-third Amendment Order, 1979.
2. In the Exports (Control) Order, 1977, in Part 'B', Schedule I, the following sub-entry shall be inserted after the existing sub-entry No. (iii) under S. No. 77 :—

(iv)—Manufactures and products having 50% or less silver content".  
tent".

[F. No. 21/1/79-El]

C. VENKATARAMAN, Chief Controller of Imports & Exports